तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमाराम बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 218 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.20	अपीलार्थी ओमाराम पुत्र हणूतराम विश्नोई, पता जमेश्वर नगर, बागड़ों की ढाणी, कांकाणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.09..20 में उसके द्वारा (1) राजस्व गांव कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 460 की जमीन सेटलमेंट के समय जिन जिन लोगों को आंवटित [illegible] मय आवंटन आदेश, से संबंधित सूचना के लिए लोक [illegible]धिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया ग[illegible] द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे [illegible] हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसील[illegible] लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार लूणी.) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:54:11 IST
Reason: SelfAttested